न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 6/2025 ई.रे. दिनांक 06.10.2025

1. पुष्पा पिता बालु ब्राहम्ण निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

– प्रार्थीया

बनाम

1 मनोहर पिता बालु ब्राहम्ण निवासी बोहेड़ा तहसील बडीसादडी
2 कैलाश पिता बालु जी ब्राहम्ण निवासी बोहेड़ा तहसील बडीसादड़ी
3 रमेश पिता बालु ब्राहम्ण निवासी बोहेड़ा तहसील बडीसादड़ी
4 फेफाबाई पत्नि बालु ब्राहम्ण निवासी बोहेड़ा तहसील बडीसादड़ी
5 उमाबाई पत्नि मोहनलाल ब्राहम्ण नागदा निवासी बोहेड़ा तहसील बडीसादड़ी
6 शिवकुमार पिता शंकरलाल मालू निवासी बोहेड़ा तहसील बडीसादड़ी
7 ललिता पत्नि मनोहरलाल ब्राहम्ण निवासी बोहेड़ा तहसील बडीसादड़ी
8 सीमा पत्नि मुकेश ब्राहम्ण निवासी बोहेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी
9 तहसीलदार बडीसादड़ी

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित– श्री डी.के. वैष्णव वकील प्रार्थीया
श्री पंकज मेहता वकील विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 5, 7, 8
श्री ए.के. आमेटा वकील विपक्षी संख्या 6

–:: आदेश::–

प्रार्थीया की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि

1. प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी. एक्ट के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है तो ठोस तथ्यों पर आधारीत होने से निश्चित ही वादी के पक्ष में निर्णित होगा।
2. खाता संख्या 40 की आराजी न. 1818 रकबा 0.0200 है लगानी, 0.22 रूपया, आराजी न. 2418 रकबा 0.8300 है लगानी 10.79 रूपया आराजी न. 2420 रकबा 0.0100 है0आ0चाह, आराजी न. 2421 रकबा 0.9700 है0 लगानी 12.61 रूपया कुल किता 4 कुल रकबा 1.8300 है लगानी 23.62 रूपया वाके मौजा बोहेड़ा में है।
3. खाता संख्या 1143 की आराजी न. 2419 रकबा [illegible] लगानी 14.04 वाके मौजा बोहेड़ा में स्थित है।
4. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजी [illegible] पुश्तैनी पैतृक संपत्ति की होकर बालु जी की खातेदारी की थी बालु जी की मृत्यु हो चुकी है। [illegible] उसके पुत्र रमेश कैलाश मनोहर व पुत्री पुष्पा व बेवा फेफाबाई जो वाद पत्र में प्रत्येक को 1/5 हक हिस्सा है लेकिन बालु जी की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण खुलते समय विपक्षीगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थीया का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने दिया जबकि प्रार्थीया हिन्दु उत्तराधिकार के अनुसार मृतक बालु जी की प्रथम श्रेणी की वारीस है इसलिये प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात में 1/5 हक हिस्से की घोषणा कराकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी है।

5. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया का 1/5 हक हिस्सा व विपक्षी 1 का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी न. 2 का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी न. 4 का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी न. 5 का 1/5 हक हिस्सा है व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया का 1/5 हक हिस्सा व विपक्षी संख्या 1 का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी न. 2 का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी न. 4 का 1/5 हक हिस्सा विपक्षी न. 6 का 1/5 हक हिस्सा है उक्त हक हिस्से अनुसार आराजीयात प्रार्थीया व विपक्षीगण के खातेदारी की घोषीत की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराई जावें।
6. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात बालु जी की मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज हो गई जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय बक्षीश कर हस्तान्तरीत करने पर अमादा है व प्रार्थीया को मौके से बेदखल करने पर अमादा है इसलिये विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तान्तरीत नहीं करे न करावे व प्रार्थीया को मौके पर शान्तिपूर्वक काबीज रहकर काश्त करने देवें।
7. विपक्षीगण को उक्त तथ्य की जानकारी है कि मृतक बालु जी की जाईन्दा पुत्री प्रार्थीया है जिसका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जबकि प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात में 1/5 हक हिस्सा है व प्रार्थीया उसके हक हिस्से से वंचीत हो जावे इसलिये विपक्षी न. 3 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी न. 5 व 6 को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय का दिया विपक्षी न. 3 के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र प्रार्थीया के अधिकारों पर बेअसर होकर शुन्य प्रभावी है।
8. प्रार्थीया अपने ससुराल रहती है। तथा अभी 10 दिन पूर्व ग्राम बोहेड़ा आई तो प्रार्थीया को जानकारी हुई कि प्रार्थीया की माता को बहला फुसला कर उसकी निरक्षरता व आयु का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीया की माता से विपक्षी न. 1 मनोहर ने फेफा बाई के हिस्से मे दर्ज आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपनी पत्नि ललिता व 1/2 हक हिस्सा विपक्षी न. 3 ने अपनी पुत्र वधु सीमा के नाम पर दान पत्र निष्पादीत करा लिया जिसका नामान्तरकरण प्रकियाधिन है इसलिये उक्त दान पत्र प्रार्थीया के अधिकारों पर बेअसर होकर शून्य प्रभावी है।
9. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजीयात पुश्तैनी पैतृक संपत्ति की है तथा प्रार्थीया का मृतक बालु जी की आराजीयात में 1/5 हक हिस्सा है उक्त हिस्से पर काबीज है जिससे प्रार्थीया का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है तथा सुवीधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णित क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के पक्ष में है इसलिये विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया गया न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें वे वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय बक्षीश कर हस्तान्तरीत नहीं करें न करावे व प्रार्थीया को मौके पर शान्तिपूर्वक काबीज रहकर काश्त करने देवें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या एक, तीन, चार, सात एवं आठ की ओर से जवाब निम्न प्रकार प्रस्तुत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 14:46:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

1. चरण सं. एक में वर्णित अनुसार वादपत्र प्रस्तुत होना स्वीकार हैं किन्तु वाद विधि विरूद्ध व झुठा होने से खारिज होगा तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने की कोई परिस्थिती विद्यमान नही रहती हैं।
2. चरण सं. दो में वर्णित अनुसार भूमि स्थित होना स्वीकार हैं। यह भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. एक मनोहर की 1/4 हक हिस्से की खातेदारी विपक्षी सं. सात श्रीमती ललिता के 1/8 हक हिस्से की खातेदारी विपक्षी सं. आठ श्रीमती सीमा के 1/8 हक हिस्से की खातेदारी में दर्ज हैं तथा विपक्षी सं. तीन रमेश द्वारा अपना हक हिस्सा विपक्षी सं. पांच को पंजीकृत विक्रय पत्र से वर्ष 2009 में विक्रय कर दिया गया है। उक्त भूमि की प्रार्थीया खातेदार ना तो पूर्व में रही है ना ही वर्तमान में खातेदार हैं।
3. चरण सं. तीन में वर्णित तथ्य अनुसार आराजी स्थित होना स्वीकार हैं। इस भूमि में विपक्षी मनोहर 1/4 हक हिस्से , विपक्षी ललिता एवं सीमा प्रत्येक 1/8 हक हिस्से तथा विपक्षी शिवकुमार 1/4 हक हिस्से के खातेदार है जिन्हें 1/4 हिस्सा विपक्षी रमेश द्वारा वर्ष 1996 में विक्रय किया गया हैं। इस भूमि में भी प्रार्थीया ना तो खातेदार व कब्जाधारी थी ना वर्तमान में हैं।
4. प्रार्थना पत्र की चरण सं. चार में वर्णित अनुसार आराजीयात के पुश्तैनी होने का तथ्य प्रार्थीया सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करावे। उक्त भूमि रमेश मनोहर फेफादेवी व कैलाश प्रत्येक के 1/4 हिस्से में बराबर दर्ज रही है तथा सभी का पृथक पृथक कब्जा रहा हैं। जहां तक बालू जी की मृत्यु व प्रार्थीया पुष्पा के हक हिस्से का तथ्य है तो यह उल्लेखनीय हैं कि बालु जी का वर्ष 1996 में निधन हुआ है एवं इसके पूर्व की प्रार्थीया का वर्ष 1985 में विवाह होकर वह अपनी पृथक घर गृहस्थी में रह रही है जिसके मायरे व विवाह आदि में भरपूर अंशदान विपक्षीगण द्वारा किया गया हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन वर्ष 2005 में हुआ हैं, इसके पूर्व सम्पन्न हो चुके अंतरणो एवं पारिवारिक व्यवस्थापन पर इस संशोधन का प्रभाव नहीं हैं। बालु जी की मृत्यु वर्ष 1996 मे होने के उपरांत आज तक अर्थात तीस वर्षो में कभी हक हिस्सा क्लेम नही करना स्वतः प्रार्थीया का आचरण स्पष्ट करता है तथा विधि अनुसार उसे अब हक हिस्सा क्लेम करने से वर्जित करता हैं। प्रार्थीया अपने नाम की घोषणा कराने की अधिकारी नही हैं। प्रार्थीया ने अपने भाई विपक्षी सं. एक कैलाश के सिखावे मे होने से नाजायज रूप से अन्य परिवारजन को तंग परेशान करने की नीयत से प्रकरण दर्ज करवाया हैं, जिसमें प्रार्थीया नुमाईशी पक्षकार प्रार्थीया हैं जबकि असल विवाद विपक्षी कैलाश को हैं। दोनों भाई बहिन ने मिलकर अपनी ही माता तथा अन्य भाइयों को नाहक परेशान किया हैं।
5. चरण सं. पांच में वर्णित तथ्य असत्य आधारहीन होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही बनता हैं, प्रार्थीया एक पल को भी उक्त भूमियो की खातेदार या कब्जे मे नही रही हैं। पारिवारिक व्यवस्था अनुसार तीन हिस्से तीनो भाइयों के तथा एक हिस्सा माता जी श्रीमती फेफा का रहा हैं। इसे परिवर्तीत कर तीस वर्षो के अक्षम विलम्ब उपरांत अब प्रार्थीया के हक हिस्से या खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती है
6. चरण सं. छह में वर्णित तथ्य असत्य होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थीया कभी भी मौके पर काबिज ही नहीं रही हैं, वरन विवाह के बाद से ससुराल में [illegible]बाद निवास कर रही हैं। व्यक्ति मौके पर काबिज ही नहीं हैं, खातेदा[illegible] की कोई संभावना कैसे विद्यमान मानी जा सकती हैं। प्रकरण में कोई अस्थ[illegible]षेधाज्ञा विपक्षीगण खातेदार के विरूद्ध जारी नही की जा सकती हैं क्योंकि एक खातेदार [illegible] सुविधा अनुसार उपयोग उपभोग करने कृषि ऋण प्राप्त करने का अधिकार रखता हैं। प्रार्थीया [illegible] में कोई वाद कारण ही प्रकट नहीं हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

क्योंकि अपने पिता की मृत्यु के तुरन्त पश्चात या वयस्कता प्राप्त करने ही उसने कभी कोई हिस्सा क्लेम नही किया हैं।

7. प्रार्थना पत्र की चरण सं. सात असत्य होकर अस्वीकार हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं पारिवारिक आयोजनो में कभी भी विपक्षी सं. एक कैलाश ने सहयोग नही किया इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विपक्षी रमेश द्वारा वर्ष 1996 में अपना हिस्सा विपक्षी शिवकुमार को तथा वर्ष 2009 में विपक्षी उमादेवी को विक्रय किया गया हैं। प्रार्थना पत्र में इन पंजीकृत विक्रय पत्रो की दिनांक तथा वर्णन तक प्रार्थीया ने दर्ज नही किया हैं। प्रार्थीया के कहने मात्र से इन्हें शुन्य प्रभावी नहीं माना जा सकता है क्योंकि विधि की दृष्टि में चूंकि इन दोनों विक्रय पत्रों में प्रार्थीया पक्षकार नहीं हैं, अतः इन्हें निरस्त कराने हेतु उसे सिविल न्यायालय में वादपत्र दायर करना आपश्यक है जब तक दोनों विक्रय पत्र न्यायालय के निरस्त घोषित ना हों, तब तक दन दोनों विक्रय पत्रों के विपरीत कोई प्रतिकूल निष्कर्ष पारित नही किया जा सकता हैं।

8. चरण सं. आठ में वर्णित तथ्य असत्य व बनावटी होकर अस्वीकार हैं। प्रार्थीया अपने विवाह उपरान्त विभिन्न सामाजिक आयोजनों मे बोहेड़ा आती जाती रही हैं इस कारण उसे वर्ष 1996 तथा 2009 के अन्तरणों की जानकारी ना हो यह मानना असंभव हैं। प्रार्थीया स्वयं अपनी माता की सेवा व देख रेख को उत्सुक नही रही हैं, बल्कि माता फेफाबाई की सेवा व देखभाल विपक्षी रमेश तथा मनोहर के परिवार ने ही की हैं। इसी से प्रसन्न होकर विपक्षी फेफाबाई ने अपने हक हिस्से की एवं खातेदारी की कृषि भूमि अपनी पुत्रवधु विपक्षी सं. सात व आठ को पंजीकृत दानपत्र दिनांक 15–01–2025 के जरिये अंतरित ही हैं। विपक्षीया फेफाबाई को किसी ने बहलाया फुसलाया नही है वरन उनके द्वारा स्वेच्छया भूमि अंतरित की गई हैं। दानपत्र के प्रभाव से उक्त भूमि विपक्षी सं. सात व आठ के नाम पर नामांतरित हो चुकी हैं तथा वे खातेदार निर्मित हो चुकी हैं। एक बार किया गया दान सदैव के लिये दान होता हैं। प्रार्थीया ने जाहिर ही नही किया है कि किस प्रकार उक्त दान प्रार्थीया के हितो के विरूद्ध हैं, वरन बहला फुसलाकर दान करना बताया है जिस बारे मे कोई ऐजराज सिर्फ फेफाबाई दानपत्र निष्पादक ही करने की अधिकारिता रखती हैं, प्रार्थीया उक्त दानपत्र में पक्षकार नही है तथा उसे दानपत्र बेअसर बताने की कोई विधिक अधिकारिता प्राप्त नहीं हैं। एक खातेदार अपनी टेनेन्सी को अंतरित करने को स्वतन्त्र हैं। चुकि प्रार्थीया कभी खातेदार ही नही रही हैं, ना ही पिछले 30 वर्षो में कोई प्रयास किया है तो प्रार्थीया को दानपत्र विवादित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही रहता हैं। विपक्षी सं. सात व आठ अपने खातेदारी अंश पर काबिज है तथा उन्हें कब्जा स्वयं फेफाबाई ने दिया हैं, ऐसी स्थिती में इनके विरूद्ध कोई अनुतोष प्रार्थीया प्राप्त नही कर सकती हैं।

9. चरण सं. नौ में वर्णित तथ्य असत्य आधारहीन होकर अस्वीकार हैं। तीनों तात्विक बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में नहीं हैं। प्रार्थीया ना तो खातेदार हैं, ना ही मौके पर काबिज रही वरन इन 30 वर्षो में विभिन्न समय पर निष्पादित विक्रय पत्र तथा दानपत्र को सम्यक अधिकारिता के न्यायालय में कोई चुनौती नही दी हैं। ऐसी सूरत मे इन अंतरणों पर प्रार्थीया की विवक्षित सहमति मानी जावेगी। प्रार्थीया के मौके पर काबिज नही होने तथा खातेदार नहीं होने से उसके पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नही बनता हैं। सुविधा का संतुलन तथा [illegible] क्षति का सिद्धान्त भी विपक्षीगण के पक्ष में हैं, क्योंकि विपक्षीगण मौके [illegible] काबिज हैं भारी लागत लगाकर भूमि का काश्त काबिल बनाया है। तथा हिस्से पर काबिज हैं, [illegible] लागत भूमि को काश्त काबिल बनाया है तथा उनके आजीविका का स्त्रोत हैं जिसे निषेधाज्ञा [illegible] कर प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता हैं।

अतः उपरोक्त अनुसार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे सहित खारिज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात पूर्व में प्रार्थीया के पिता बालू के नाम पर थी जिसका विरासत का नामान्तरण संख्या 3080 में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नही किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज हो गई जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय बक्षीश कर हस्तान्तरीत करने पर आमादा है व प्रार्थीया को मौके से बेदखल करने पर आमादा है प्रार्थीया ने वाद ग्रस्त पुश्तैनी आराजीयात में से अपना हिस्सा चाहा है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी है। मृतक बालु की जाईन्दा पुत्री प्रार्थीया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इसमें प्रार्थीया का हिस्सा निहित है। यदि विपक्षीगण उक्त आराजीयात को बेच देते है तो प्रार्थीया को असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थीया का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णित क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीया के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थीया साबित करने में सफल रही है।

–:आदेशः–

अतः वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की आराजी नं. 1818, 2418, 2420, 2421 कुल किता 4 रकबा 1.8300 तथा आराजी नं. 2419 रकबा 1.0800 हैक्ट. भूमि पर प्रार्थीया व विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
यह आदेश आज दिनांक 06.10.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:35 IST
Reason: SelfAttested